

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग

क्रमांक पा० 6(58)प्र.सु./अनु-3/2010

जयपुर, दिनांक 21.10.2010

— आदेश —

पंचायती राज संरथाओं के सशक्तीकरण के क्रम में हस्तान्तरित गतिविधियों के साथ-साथ निधियों एवं स्टाफ के हस्तान्तरण उपरान्त उनके प्रभावी कियान्वयन में आ रही समस्याओं के स्थानीय स्तर पर निदान हेतु जिला कलक्टर की अधिक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है :—

1.	जिला कलक्टर	—	अध्यक्ष
2.	उप निदेशक (कृषि)	—	सदस्य
3.	उप निदेशक (महिला एवं बाल विकास)	—	सदस्य
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	—	सदस्य
5.	उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला समाज कल्याण अधिकारी	—	सदस्य
6.	जिला कोषाधिकारी	—	सदस्य
7.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	—	सदस्य सचिव

उक्त समिति हस्तान्तरित कार्यकलापों एवं स्टाफ के हस्तान्तरण के संदर्भ में स्थानीय समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करेगी। ऐसे प्रकरण जिनका निराकरण जिला जावेगा।

इस प्रयोजन का प्रशासनिक विभाग ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग होगा।


प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राज०, जयपुर ।
2. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री महोदय, राज०, जयपुर ।
3. विशिष्ठ सहायक / निजी सचिव, माननीय समस्त मंत्री / राज्यमंत्री / संसदीय सचिव ।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव, राज०, जयपुर ।
5. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, राज०, जयपुर ।
6. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव (विकास), राज०, जयपुर ।
7. समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ठ सचिव ।
8. समस्त संबंधित विभागाध्यक्ष ।
9. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
10. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
11. समस्त जिला प्रमुख, जिला परिषद, राजस्थान ।
12. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद ।
13. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, सचिवालय, जयपुर को प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में नियमानुसार समाचार के प्रकाशन बाबत ।
14. रक्षित पत्रावली ।


शासन उप सचिव